रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271349
CG-DL-E-27032026-271349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1557] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 1557] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

**का.आ. 1622(अ).—**केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात जिसे "आयकर अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 के खंड (46ए) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उत्तराखंड शहरी और देश योजना और विकास प्राधिकरण (पैन: AAAGU0071N) (एतश्मिन् पश्चात जिसे "निर्धारिती" से संदर्भित किया गया है), को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए उत्तराखंड शहरी और देश योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत गठित प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ उत्तराखंड शहरी और देश योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के तहत गठित प्राधिकरण बना रहता है।

[अधिसूचना सं. 33 /2026/फा. सं. 300195/48/2024-ITA-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

### स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2026

**S.O. 1622(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies the "Uttarakhand Avas and Nagar Vikas Pradhikaran" **(**PAN: AAAGU0071N) (hereinafter referred to as "the assessee"), an authority constituted under the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development (Amendment) Act, 2013, for the purposes of the said clause.

**2.** This notification shall be effective from the assessment year 2025-26, subject to the condition that the assessee continues to be an authority constituted under the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development (Amendment) Act, 2013 with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[NOTIFICATION No. 33 /2026/F.No. 300195/48/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the Board/Department) to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.27 21:58:53 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271350
CG-DL-E-27032026-271350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1558] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 1558] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

**का.आ. 1623(अ).—** केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात जिसे "आयकर अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 के खंड (46ए) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, 'इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, संगरूर' (पैन: AAATI6009F) (एतश्मिन् पश्चात जिसे "निर्धारिती" से संदर्भित किया गया है), को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए 'पंजाब नगर सुधार अधिनियम, 1922' (पंजाब अधिनियम 1922 का 4) के तहत गठित एक ट्रस्ट के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि करदाता आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ साथ पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 (पंजाब अधिनियम 1922 का 4)' के तहत गठित ट्रस्ट बना रहता है।

[अधिसूचना संख्या 34 /2026/फा. सं. 300195/38/2024-ITA-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**स्पष्टीकरण ज्ञापन**

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड/ आयकर विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2026

**S.O. 1623(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies 'Improvement Trust, Sangrur' (PAN: AAATI6009F) (hereinafter referred to as "the assessee"), a trust constituted under 'The Punjab Town Improvement Act, 1922'(Punjab Act 4 of 1922), for the purposes of the said clause.

**2.** This notification shall be effective from the assessment year 2025-26, subject to the condition that the assessee continues to be a trust constituted under 'The Punjab Town Improvement Act, 1922(Punjab Act 4 of 1922)' with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[NOTIFICATION No. 34 /2026/F.No. 300195/38/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of filing of application before the board/Income tax Department) to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.27 21:57:11 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271352
CG-DL-E-27032026-271352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1560] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 1560] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

**का.आ. 1625(अ).**—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, गोवा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गोवा (पैन: AAALT1048H), जो गोवा, दमन एवं दीव की विधानमंडल द्वारा पारित गोवा, दमन एवं दीव माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975 और नियम, 1975 द्वारा गठित बोर्ड है, को के उद्देश्य से अधिसूचित करती है, यथा इस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय:-

क) केंद्र सरकार और गोवा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;

ख) गोवा, दमन और दीव माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975 एवं नियम, 1975 के अनुसार प्राप्त शुल्क/आय/धन; और

ग) बैंक जमा और निवेश पर ब्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि गोवा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गोवा-

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) इसके क्रियाकलापों और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय का रिटर्न दाखिल करेगा।

2.1 इन शर्तों का पालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और इस अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 के लिए प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक लागू रहेगी।

[अधिसूचना सं. 35 /2026/फा.सं300196/52/2024-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (सीबीडीटी/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2026

**S.O. 1625(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education, Goa' (PAN: AAALT1048H), a Board constituted by the Goa, Daman and Diu Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 19754 and Rules, 1975, passed by the Legislative of Goa of Goa, Daman and Diu in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Grants received from Central Government and State Government of Goa;

(b) Fees / Income/ Moneys received as per the Goa, Daman and Diu Secondary and High Secondary Education Board Act, 1975 and Rules, 1975; and

(c) Interest on bank deposits an d investments.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education, Goa' -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial year; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

2.1 Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be applicable for the assessment years 2024-25 to 2028-29 relevant for the financial years 2023-24 to 2027-28.

[NOTIFICATION No. 35/2026/F.No.300196/52/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect (with effect from the year of application made before the CBDT / Department) to this Notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.27 22:56:47 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271351
CG-DL-E-27032026-271351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1559] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 1559] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

**का.आ. 1624(अ).—** केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात जिसे "आयकर अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए "आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" (पैन: AAAJA1610Q) को (एतश्मिन् पश्चात जिसे "निर्धारिती" से संदर्भित किया गया है) जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित एक बोर्ड को अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2027-28 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक उद्देश्य से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के तहत स्थापित बोर्ड बना रहे।

[अधिसूचना सं. 36 /2026/फा.स.300195/37/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2026

**S.O. 1624(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as "the Income-tax Act"), the Central Government hereby notifies "Andhra Pradesh Pollution Control Board" (PAN: AAAJA1610Q) (hereinafter referred to as "the assessee"), a Board established by the State Government of Andhra Pradesh under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2027-28, subject to the condition that the assessee continues to be a Board established by the State Government of Andhra Pradesh under section 4 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[NOTIFICATION No. 36 /2026/F. No. 300195/37/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.27 21:55:24 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271353
CG-DL-E-27032026-271353

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1561] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 1561] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

**का.आ. 1626(अ).**—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पानीपत (पैन: AAALC0980B), जो 'विधायी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' (अधिनियम 1987 का 39) द्वारा गठित प्राधिकरण है, को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जो इस प्रकार है:-

(क) विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन हेतु पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण अर्थात हरियाणा राज्य विधि सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन हेतु केंद्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के तहत या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; और

(ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि 'जिला विधि सेवा प्राधिकरण, पानीपत -

(क) किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) पूरे वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आय विवरण दाखिल करेगा।

2.1 इन शर्तों का पालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और इस अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिए संबंधित निर्धारण वर्ष 2023-24 से 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 के लिए संबंधित निर्धारण वर्ष 2026-27 से 2027-28 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 37/2026/फा. सं. 300196/2/2026-ITA-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (सीबीडीटी/आयकर विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2026

**S.O. 1626(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'District Legal Services Authority, Panipat (PAN: AAALC0980B), an Authority constituted by the 'Legal Services Authorities Act, 1987' (Act No. 39 of 1987), in respect of the following specified income arising to the said Authority, as follows:-

(a) Grants received from the Punjab and Haryana High Court, Central Authority i.e. National Legal Services Authority and State Authority i.e. Haryana State Legal Servies Authority for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987;

(b) Grants or donation received from the Central Government or the State Government of Haryana for the purpose of the Legal Services Authorities Act, 1987;

(c) Amount received under the order of the Court or from any other source;

(d) Fees received as recruitment application fee; and

(e) Interest earned on bank deposits.

**2.** This notification shall be effective subject to the conditions that 'District Legal Services Authority, Panipat -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

**2.1** Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

**3.** This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2023-24 to 2025-26 relevant for the financial years 2022-23 to 2024-25 and shall be applicable for assessment year 2026-27 to 2027-28 relevant for the financial year 2025-26 to 2026-27.

[NOTIFICATION No. 37/2026/F. No. 300196/2/2026-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect [from the year of its application made before the CBDT/ Income-tax Department] to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.27 22:32:04 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271355
CG-DL-E-27032026-271355

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1562] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 1562] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2026

**का.आ. 1627(अ).—** केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एतद्वारा ,'ओडिशा पीवीटीजी सशक्तिकरण एवं आजीविका सुधार कार्यक्रम (ओपीईएलआईपी)' (पैन AAALO0342F) जो ओडिशा राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण है, को निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान;
(ख) ओडिशा सरकार को रिफंड योग्य सावधि जमा और बचत खाते पर ब्याज; और
(ग) गैररिफंड योग्य- निविदा शुल्क

2. यह अधिसूचना ओडिशा पीवीटीजी सशक्तिकरण एवं आजीविका सुधार कार्यक्रम (ओपेलिप) की शर्तों के अधीन प्रभावी होगी।

(क) किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;
(ख) पूरे वित्तीय वर्षों के दौरान गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आय विवरण दाखिल करेगा।

3. इन शर्तों का पालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

4. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-2026 (वित्तीय वर्ष 2024-2025) की अवधि के लिए लागू मानी जाएगी और निर्धारण वर्ष 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 और 2029-2030 (वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2028-2029) के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 38/2026/फा.सं.300196/4/2025-आईटीए-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड/ आयकर विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th March, 2026

**S.O. 1627(E).—** In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Odisha PVTG Empowerment and Livelihoods Improvement Programme (OPELIP)' (PAN AAALO0342F), an Authority constituted by the State Government of Odisha, in respect of the following specified income arising to that Board, namely:-

(a) Grants received form state government;

(b) Interest on fixed Deposit and Saving account, which are refundable to Govt. of Odisha; and

(c) Non-refundable Tender fee.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Odisha PVTG Empowerment and Livelihoods Improvement Programme (OPELIP)-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income-tax Act, 1961 and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

4. This notification shall be deemed to have been applied for the period of assessment year 2025-2026 (Financial year 2024-2025) and shall apply with respect to the assessment year 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 and 2029-2030 (Financial year 2025-2026 to 2028-2029).

[Notification No. 38/2026/F.No.300196/4/2025-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

**Explanatory Memorandum**

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application filed with the CBDT/ Income-tax Department] to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.03.27 22:54:18 +05'30'